

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,
अररिया एवं मधेपुरा।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, पूर्णियां, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया एवं अररिया।

पटना-15, दिनांक-31 अगस्त, 2008

विषय: आबादी निष्क्रमण (Evacuation) की कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

निम्नांकित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाय:

- (i) सम्बन्धित घाटों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन (fuel) का भंडारण किया जाय ताकि नावों को बार-बार ईंधन लेने जाने में समय बर्बाद न हो।
- (ii) 3/4/5 लाख क्यूसेक पानी के discharge होने की परिस्थिति में वैसे स्थानों को चिन्हित किया जाय जहां पर से लोगों को निकालना पड़ सकता है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर बचाव की कार्य योजना तैयार की जाय तथा इन विस्थापितों के लिए राहत शिविर का भी प्रबंध सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) बाढ़ क्षेत्र से निकल कर आ रहे लोगों के लिए अररिया; सहरसा; पूर्णियां, सुपौल तथा मानसी में अच्छे राहत शिविर की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आर0 के0 सिंह)


प्रधान सचिव

ज्ञापांक सं0- 179 (50) /आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 31 अगस्त, 2008

प्रतिलिपि: आयुक्त सहरसा/पूर्णियां
करने हेतु प्रेषित।

प्रमंडल को सूचनार्थ एवं कार्रवाई सुनिश्चित


प्रधान सचिव